न्यायमूर्ति *अनिल क्षेत्रपाल* के समक्ष

प्रभु कुमार रावत और अन्य - *याचिकाकर्ता*

बनाम

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य- *उत्तर*वादी

2020 का सी-डब्ल्यू-पी नंबर 14979

10 अगस्त, 2021

ए ***/भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 142 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (न्यायसंगत क्षेत्राधिकार) के तहत पारित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी उदाहरण नहीं हैं।***

निर्धारित किया गया कि, जब मामले को बड़ी पीठ के समक्ष रखा गया था, तो यह माना गया था कि इस तरह के निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हैं और इसलिए, बाध्यकारी मिसाल नहीं हैं।

(पैरा 24)

भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी, पिछली रिट याचिका में अंतरिम निदेशों के तहत राशि प्राप्त करने के बाद, जिसमें वे अंततः विफल रहे, यह दावा करने के हकदार नहीं हैं कि वसूली सीमा द्वारा प्रतिबंधित है - माना जाता है कि कर्मचारियों से वसूली की जा सकती है, विशेष रूप से लंबे समय बीतने के बाद और कुछ याचिकाकर्ताओं के पहले ही सेवानिवृत्त होने के बाद।

निर्धारित किया गया *कि* रफीक मसीह (उपरोक्त) में पारित निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है; खासकर जब अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार राशि वसूल करने की मांग की जाती है। याचिकाकर्ता, अदालत के अंतरिम निर्देशों के तहत भुगतान प्राप्त करने के बाद, अब 08.07.1994 के उसी आदेश के अनुसार वसूली का विरोध नहीं कर सकते हैं। फिर भी, यह रिकॉर्ड पर आया है कि याचिकाकर्ताओं को किया गया भुगतान वसूली जाने वाली राशि से बहुत अधिक है।

(पैरा 24)

डी.एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता
गौरव राणा, वकील, *2020 के सीडब्ल्यूपी नंबर 14979 में* याचिकाकर्ताओं के लिए

याचिकाकर्ताओं की ओर से (2020 के सीडब्ल्यूपी नंबर 17725 और 17727 में) याचिकाकर्ताओं की *ओर* से आदित्यजीत सिंह चंधा (2020 के सीडब्ल्यूपी नंबर *17998 में)* शिफाली गोयल, अधिवक्ता के साथ चेतन मित्तल वरिष्ठ अधिवक्ता

भारत के महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता, लोकेश सिंहल, अधिवक्ता और सौरव अग्रवाल, अधिवक्ता और प्रीतपाल निज्जर, अधिवक्ता और अनन्वय आनंदवर्धन, अधिवक्ता प्रतिवादियों के साथ।

अनिल क्षेत्रपाल, जे।

(1) इस फैसले से, 2020 की 4 संबंधित रिट याचिकाओं यानी सिविल रिट याचिका संख्या 14979, 17725, 17727 और 17998, जो वर्तमान कर्मचारियों के साथ-साथ नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद 'एनएचपीसी' के रूप में संदर्भित) के पूर्व कर्मचारियों द्वारा दायर की गई हैं, का निपटारा किया जाएगा। इन सभी रिट याचिकाओं को सूचीबद्ध किया गया और सुनवाई की विभिन्न तारीखों पर एक साथ सुनवाई की गई। पक्षकारों के विद्वान वकीलों का मानना है कि इन रिट याचिकाओं को एक आम फैसले द्वारा निपटाया जा सकता है।

(2) इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, निर्णय के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं:-

I. मामले के अजीबोगरीब तथ्यों को देखने के बाद भी कि दावा की गई राहत असमान है, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (न्यायसंगत अधिकार क्षेत्र) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का पालन करना उचित होगा?

II. क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के उच्चतम वेतन पाने वाले कर्मचारी, पिछली रिट याचिका में अंतरिम निर्देशों के तहत राशि प्राप्त करने के बाद, जिसमें वे अंततः विफल रहे, यह दावा करने के हकदार हैं कि उनसे वसूली सीमा द्वारा प्रतिबंधित है?

(3) इन सभी रिट याचिकाओं में, मुख्य चुनौती 17.04.2020 को जारी कार्यालय आदेश संख्या 41/2020 को है, जो निम्नानुसार निकाला गया है: -

1. 51300-3% -73000 के समान वेतनमान में मुख्य/मुख्य अभियंता (ई-7 ग्रेड) से महाप्रबंधक (ई-8 ग्रेड) के पद पर कार्यपालकों की पदोन्नति को पुन: पदनाम के रूप में माना जाएगा, इस प्रकार प्रमुख से ऐसे पुन: पदनाम पर दी गई काल्पनिक वेतन वृद्धि का पदोन्नति लाभ अगर (ई-7) से महाप्रबंधक (ई-8) को समान वेतनमान में 2007 के वेतन ढांचे में 51300-3% -73000 दिया गया है , तो 01.01.2007 से वापस ले लिया जायेगा । तदनुसार, ऐसी पदोन्नति पर वर्ष 2007 के वेतन ढांचे में जो ठहराव वेतन वृद्धि वापस ले ली गई थी, उसे बहाल किया जाएगा।

2 01.01.2007 को देय वेतन वृद्धि, यदि कोई हो, पहले पूर्व-संशोधित वेतनमान (1997 वेतन संशोधन) में प्रदान की जाएगी और उसके बाद ही फिटमेंट लाभ प्रदान किया जाएगा, और 01.01.2007 की स्थिति के अनुसार संशोधित वेतनमानों में निर्धारित वेतन दिया जाएगा। तदनुसार, भाग-I कार्यालय आदेश संख्या 46/2010 के खंड 31 में दिनांक 02-11-2010 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित किया गया है।

3. ठहराव वेतन वृद्धि 1997 के वेतन ढांचे में वेतनमान के अधिकतम तक पहुंचने पर अर्थात 01.01.1997 से 31.12.2006 तक की अवधि के दौरान दो वर्षों में एक बार प्रदान की जाएगी, इस प्रकार भाग-I कार्यालय आदेश संख्या 22/2006 के खंड 9 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाएगा।

4. जिन कर्मचारियों को 01.01.1989 को या उसके बाद नियुक्त किया गया है और केन्द्रीय महंगाई भत्ता वेतनमान में बने हुए हैं, उन्हें भाग -1 कार्यालय आदेश संख्या: 23/90 दिनांक : 10.07.1990 और कार्यालय आदेश संख्या: 12/93 दिनांक: 19.05.1993 के अनुसरण में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से औद्योगिक महंगाई भत्ता वेतनमान में पूर्वव्यापी रूप से रखा जाएगा।

(4) यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त निर्णय समिति की सिफारिशों और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के अनुमोदन के आधार पर जारी किया गया है।

<u>तथ्यों</u>

(5) यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पहले कुछ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अपने कर्मचारियों को केंद्रीय महंगाई भत्ते (संक्षेप में सीडीए) के पैटर्न पर भुगतान कर रहे थे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन की जांच करने की दृष्टि से एक उच्चाधिकार प्राप्त वेतन समिति (संक्षेप में एचपीपीसी) का गठन किया गया था जिसने दिनांक 02111988 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इसके कारण विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर की गईं। अंतत, उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1990 में इन रिट याचिकाओं पर निर्णय लिया, उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 03-05-1990 को **<u>भारतीय पटसन निगम अधिकारी संघ आदि बनाम *भारतीय पटसन निगम लिमिटेड और अन्य आदि*[1],</u>** के संबंध ***निर्णय*** लिया, जो की निम्नानुसार दर्शायान जाता है : -

> पीठ ने कहा, "हमने हलफनामे में निहित प्रस्तावों पर पक्षों को सुना और पाया कि आवास किराया भत्ता लागू करने की तारीख को छोड़कर प्रस्तावों पर ज्यादा विवाद नहीं था। कर्मचारियों ने जोर देकर कहा कि उक्त भत्ता 1-1-1986, जबकि सरकार ने तर्क दिया कि इसे केवल 1-1-1989 से ही उचित रूप से कार्यान्वित किया जा

1 (1990) 3 S.C.C. 436

सकता है।, चूंकि रिपोर्ट 2 नवंबर, 1988 की थी। हालांकि, हम निम्नानुसार निर्देशित करते हैं: -

(1) रिपोर्ट में यथा संस्तुत वेतन और महंगाई भत्ते के वेतनमान उन कर्मचारियों को दिए जाएंगे जिन्हें केन्द्रीय महंगाई भत्ता प्रदान करने के लिए विशिष्ट निबंधन और शर्तों के साथ नियुक्त किया गया है। यह उन कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होगा जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार केंद्रीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है।

(2) 1 जनवरी, 1989 को या उसके बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों को ऐसे वेतनमान और भत्ते द्वारा शासित किया जाएगा जो सरकार द्वारा अपने विवेक से तय किए जा सकते हैं। आईडीए पैटर्न के साथ पहले नियुक्त किए गए लोगों को उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार शासित किया जाना जारी रहेगा।

(3) उन कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन जिनके संबंध में सिफारिशों को इसके बाद लागू करने का निर्देश दिया जा रहा है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए इसी तरह के परिवर्तन लागू होने पर ही होगा। हालांकि, इन कर्मचारियों को स्वैच्छिक आधार पर वेतनमान आदि के औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न पर स्विच करने का विकल्प मिलता रहेगा।

(4) रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों को निम्नानुसार तारीखों से लागू किया जाएगा। ये तिथियां मोटे तौर पर रिपोर्ट में निर्दिष्ट तिथियों के अनुरूप हैं:

विषय	इसे 01-04-2010 से कार्यान्वित किया जाएगा।
1. संशोधित वेतनमान और संशोधित महंगाई भत्ता सूत्र ।	1.1.1986 (पैरा 16.1)
2. अंतरिम राहत की पहली किस्त	1.6.1983 (पैरा 16.3)
3. अंतरिम राहत की दूसरी किस्त	1.3.1985 (पैरा 16.3)
4. संशोधित स्लैब के अनुसार सी.सी.ए (अध्याय 11 के पैरा 11.6) रिपोर्ट	1.1.1985 (1.1.11986 से 31 दिसंबर, 1988 तक सी.सी.ए का भुगतान संशोधित वेतनमानों में अनुमानित वेतन पर मौजूदा दर पर किया जाएगा (रिपोर्ट का पैरा

	11.7)
5. मकान किराया बी.पी.ई के ओ.एम नंबर 1 (3)/83 बीपीई के अनुसार भत्ता प्रतिशत दरें। (डब्ल्यूसी) दिनांक 1.7.83, दिल्ली/बॉम्बे, ए.बी.1 और बी.2, सी और अवर्गीकृत शहरों के लिए क्रमशः 1250, 1000, 680, 340 और 310 रुपये की समग्र सीमा के अध्यधीन।	उत्पादन या किराया रसीद के बिना एच.आर.ए के भुगतान की उच्चतम सीमा को 1.12.1988 से संशोधित किया जाएगा। मौजूदा एच.आर.ए संरचना को संशोधित मानदंडों और संभावित तिथि से निर्धारित दरों के रूप में निर्धारित किया जाएगा (संदर्भ पैरा 11.15)।
6. रिपोर्ट के पैरा 11.21 के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं	पीएसबी के प्रबंधन द्वारा तय की जाने वाली संभावित तारीख से
7. एल-टी-सी	उपरोक्त
8. अधिनियम के अध्याय 12 और 13 में निहित सिफारिशों के अनुसार अन्य भत्ते और प्रति-लाभ रिपोर्ट	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन द्वारा निर्धारित किए जाने वाले लाभों की मात्रा को पैरा III के अनुसार भावी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। III रिपोर्ट का 7 भाग

(5) वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों आदि के कारण उत्पन्न बकाया राशि को समय-समय पर किए गए तदर्थ भुगतान के साथ समायोजित किया जाएगा।

(6) यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन सभी याचिकाकर्ताओं को 01.01.1989 के बाद नियुक्त /पदोन्नत किया गया था और उनकी नियुक्ति / पदोन्नति पत्रों में, यह

विशेष रूप से निर्धारित किया गया था कि वर्तमान में उनके वेतन और भत्ते सरकार के अंतिम निर्णय के अधीन अनंतिम रूप से तय किए जा रहे हैं। 2020 की सिविल रिट याचिका संख्या 14979 में, विभिन्न रिट याचिकाकर्ताओं के विवरण के साथ-साथ उनके वर्तमान पदनाम के साथ-साथ मासिक परिलब्धियों को सारणीबद्ध रूप में संकलित किया गया है, जो निम्नानुसार निकाला गया है: -

नाम	**एनएचपीसी में शामिल हुए**	**की तारीख शामिल हों एनएचपीसी**	**वर्तमान पदनाम**
प्रभु रावत कुमार	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	03.09.1989	महाप्रबंधक (सिविल)
अनिरुद्ध गुप्ता	प्रोग्रैमर	14.02.1989	महाप्रबंधक (आईटी)
अशोक नौरियाल कुमार	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	22.05.1989	महाप्रबंधक (सिविल)
हसन नदीम	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	27.04.1989	महाप्रबंधक (सिविल)
संतोष कुमार	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	12.04.1989	महाप्रबंधक (सिविल)
राघवेंद्र कुमार गुप्ता	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	26.12.1989	महाप्रबंधक (सिविल)
रजत गुप्ता	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	15.04.1989	महाप्रबंधक (सिविल)
संजीव कुमार यादव	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	10.03.1989	महाप्रबंधक (सिविल)
संजय दरबारी	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	13.03.1989	महाप्रबंधक (सिविल)
अजय मित्तल	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	21.04.1989	महाप्रबंधक (सिविल)
हर्ष सिंह	परिवीक्षाधीन	15.04.1989	महाप्रबंधक

	कार्यकारी		(सिविल)

संदीप कुमार	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	25.04.1989	महाप्रबंधक (सिविल)
दीपक सहगल	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	06.08.1989	महाप्रबंधक (सिविल)
प्रशांत आत्रेय	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	19.10.1989	महाप्रबंधक (सिविल)
विजय कुमार सिन्हा	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	20.03.1989	महाप्रबंधक (विद्युत)
विवेक द्विवेदी	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	22.05.1989	महाप्रबंधक (सिविल)
हरीश बुलचंदानी	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	13.06.1989	महाप्रबंधक (सिविल)
राजन जैरथ	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	19.05.1989	महाप्रबंधक (सिविल)
विशाल कुमार सैनी	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	12.04.1989	महाप्रबंधक (सिविल)
मनोज कुमार सिंह	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	03.03.1989	महाप्रबंधक (सिविल)
राज कुमार	परिवीक्षाधीन	03.01.1989	महाप्रबंधक (सिविल)
चौधरी	कार्यकारिणी		
संदीप मित्तल	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	13.03.1989	महाप्रबंधक (सिविल)
सतीश कुमार चौहान	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	05.05.1989	महाप्रबंधक (सिविल)

उदय शंकर साही	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	15.05.1989	महाप्रबंधक (सिविल)
ललितेंदु कुमार त्रिपाठी	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	08.03.1989	महाप्रबंधक (सिविल)

मिलिंद गणेश गोखले	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	17.04.1989	महाप्रबंधक (इलेक्ट्रिकल)
रजनीश अग्रवाल	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	22.05.1989	महाप्रबंधक (सिविल)
सरिता वर्मा	प्रोग्रैमर	02.01.1989	उप महाप्रबंधक
राजीव जैन	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	18.02.1989	महाप्रबंधक (सिविल)
संदीप बत्रा	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	25.03.1989	महाप्रबंधक (सिविल)
एच.एन. सत्यनारायण	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	28.02.1989	महाप्रबंधक (सिविल)
अजय माथुर	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	05.10.1987	महाप्रबंधक (सिविल)
एके ग्रोवर	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	06.10.1987	महाप्रबंधक (सिविल)
एके पाठक	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	25.11.1987	महाप्रबंधक (सिविल)
अशोक कुमार	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	06.10.1987	महाप्रबंधक (सिविल)
एजेड गिलानी	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	06.10.1987	महाप्रबंधक (विद्युत)
बीबीएन सुबुद्धि	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	07.10.1987	महाप्रबंधक (सिविल)

डीके जैन	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	05.10.1987	महाप्रबंधक (सिविल)
हिमांशु शेखर	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	06.10.1987	कार्यकारी निदेशक
एमके गुप्ता	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	05.12.1987	महाप्रबंधक (सिविल)
पीके जैन	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	05.10.1987	महाप्रबंधक (सिविल)
राजीव बबूता	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	05.10.1987	महाप्रबंधक (सिविल)
राजीव जेराथ	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	07.10.1987	महाप्रबंधक (सिविल)
आर.के. अग्रवाल	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	28.12.1987	महाप्रबंधक (सिविल)
आरपी शर्मा	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	25.11.1987	महाप्रबंधक (सिविल)
एसएन नटराज	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	05.10.1987	महाप्रबंधक (सिविल)
एस.पी. मुखर्जी	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	19.11.1987	महाप्रबंधक (सिविल)
विपिन गुप्ता	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	06.10.1987	महाप्रबंधक (सिविल)
विवेक रंजन श्रीवास्तव	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	05.10.1987	महाप्रबंधक (सिविल)
अनिल कुमार दास	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	02.03.1989	महाप्रबंधक (सिविल)

(7) याचिकाकर्ताओं का दावा है कि प्रतिवादी-निगम ने दिनांक 07.05.1992 के अपने कार्यालय आदेश संख्या 10/92 के भाग-1 के तहत निर्णय लिया कि 01.01.1989 से 30.06.1990 के बीच की अवधि के दौरान वेतन के तीसरे सीपीसी स्केल पर नियुक्त या

पदोन्नत किए गए सभी कर्मचारियों को एचपीपीसी स्केल और संबंधित भत्ते और लाभों की अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं को केंद्र सरकार के वेतनमानों का हकदार माना गया क्योंकि उन्हें 01.01.1989 के बाद नियुक्त किया गया था। इसके बाद, विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किए गए दिनांक 19.05.1993 के एक अन्य कार्यालय आदेश के तहत, प्रतिवादी-निगम ने 01.01.1989 को या उसके बाद नियुक्त या पदोन्नत किए गए कर्मचारियों के संबंध में 01.01.1989 से औद्योगिक महंगाई भत्ता (लघु 'आईडीए' के लिए) पैटर्न पर वेतनमान/भत्ते और अन्य अनुलाभों को अपनाने का निर्णय लिया।

(8) अधिकांश रिट याचिकाकर्ता या तो 1987 से 1989 के बीच परिवीक्षाधीन कार्यकारी के रूप में शामिल हुए हैं या उन्हें उस समय के दौरान पदोन्नत किया गया है। उनके नियुक्ति पत्र का खंड 1.1 निम्नानुसार है: -

> 1.1. वेतनमानों में संशोधन किया जा रहा है और वेतनमान, भत्तों आदि के संशोधन के लिए भारत सरकार द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त वेतन समिति का गठन किया गया है। इस तरह के संशोधन की स्थिति में, आपको संशोधन की तारीख या आपके शामिल होने की तारीख से, जो भी बाद में हो, उपरोक्त वेतनमान के अनुरूप संशोधित वेतनमान में रखा जाएगा।

(9) इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि उच्चाधिकार प्राप्त वेतन समिति (एचपीपीसी) ने दिनांक 02-11-1988 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसके अनुसरण में, एनएचपीसी द्वारा 01-01-1989 के बाद नियुक्त या पदोन्नत किए गए सभी कर्मचारियों को औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) पैटर्न पर स्थानांतरित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुमोदन से एक सचेत निर्णय लिया गया था। 2020 की सिविल रिट याचिका संख्या 14979 में अधिकांश रिट याचिकाकर्ताओं ने पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में 1993 की सिविल रिट याचिका संख्या 2799 (एनएचपीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम अध्यक्ष-सह-एमडी, एनएचपीसी) दायर की थी। 28.05.1993 को, एनएचपीएस को सीडीए और आईडीए के बीच अंतर काटने से रोक दिया गया था। इसके बाद, 28-10-1993 को न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें एनएचपीसी को सीडीए पैटर्न के अनुसार वेतन का भुगतान जारी रखने का निर्देश दिया गया जैसा कि 19.05.1993 से पहले भुगतान किया जा रहा था। दिनांक 08.07.1994 को उच्च न्यायालय ने एक बार फिर एनएचपीसी को पदोन्नति के बाद भी सीडीए पैटर्न पर वेतन का भुगतान जारी रखने का निर्देश दिया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि अतिरिक्त राशि, यदि कोई भुगतान की जाती है, तो रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन वसूल की जाएगी। चूंकि, एनएचपीसी के विभिन्न राज्यों में कार्यालय हैं, इसलिए 1993 की सिविल रिट याचिका संख्या 805 (इंद्रजीत बरोल बनाम भारत संघ और अन्य) और अनिरुद्ध गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माध्यम से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर की गई थीं ।

(10) दिनांक 09.12.1998 को एनएचपीसी ने विभिन्न रिट याचिकाएं दायर करने वाले कर्मचारियों को स्वैच्छिक रूप से आईडीए अर्थात औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न का विकल्प चुनने का विकल्प दिया। सभी याचिकाकर्ताओं ने स्वेच्छा से यह कहते हुए विकल्प चुना कि यह उनके द्वारा दायर रिट याचिकाओं के निर्णय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगा। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि आईडीए पैटर्न का विकल्प चुनने का ऐसा निर्णय अपरिवर्तनीय था। याचिकाकर्ताओं को 01.01.1999 से आईडीए पैटर्न में स्थानांतरित कर दिया गया था। दूसरे शब्दों में, आईडीए पैटर्न वेतन को याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वेच्छा से चुनने के बाद लागू किया गया था, जो की दिनांक 01.01.1999 से प्रभावी था । इसके बाद, दिनांक 21-01-2000 को 01-01-1997 से संशोधित वेतनमान लागू किए गए। ठहराव वेतन वृद्धि भी दी जा रही थी। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका 21-07-2008 को अभियोजन न चलाए जाने के कारण खारिज कर दी गई। बेशक, याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका की बहाली के लिए आवेदन नहीं किया था। इसी प्रकार, विभिन्न अन्य उच्च न्यायालयों में दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। दिनांक 26-11-2008 को 01-01-2007 से वेतन संशोधन लागू किया गया था। वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका को खारिज करना एनएचपीएस के संज्ञान में नहीं आया।

(11) जहां तक संबंधित रिट याचिकाओं का संबंध है, तथ्य समान हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा जानकारी को सारणीबद्ध रूप में संकलित किया गया है जो निम्नानुसार निकाला गया है: -

2020 का सी.डब्ल्यू.पी नंबर 17998

नाम	**एनएचपीसी में शामिल हुए**	**शामिल होने की तिथि**	**वर्तमान पोस्टिंग**
नारायण सिंह	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड द्वितीय	02.11.1983	प्रबंधक (ईडी)
ज्ञान चंद	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड द्वितीय	04.04.1983	प्रबंधक (ईडी)
करतार सिंह	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड द्वितीय	25.03.1983	प्रबंधक (ईडी)
श्याम जी गुप्ता	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड द्वितीय	01.11.1983	प्रबंधक (ईडी)
ब्रहमा नाना ध्यानी	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड द्वितीय	04.01.1982	प्रबंधक (ईडी)

मलकीयत सिंह	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड द्वितीय	29.10.1983	प्रबंधक (ईडी)
एससी बाजवा	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड द्वितीय	16.12.1983	प्रबंधक (ईडी)
राकेश कुमार गुप्ता	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड द्वितीय	10.11.1983	प्रबंधक (ईडी)
अजय कुमार शर्मा	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड द्वितीय	25.04.1984	प्रबंधक (ईडी)
कीर्ति महाजन	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड द्वितीय	19.04.1984	उप प्रबंधक (ईडी)
दलबीर सिंह	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड द्वितीय	30.11.1984	उप प्रबंधक (ईडी)
एस.के. सिंगला	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड द्वितीय	11.04.1980	उप प्रबंधक (ईडी) सेवानिवृत्त
लाल सिंह	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड द्वितीय	21.03.1983	उप प्रबंधक (ईडी) सेवानिवृत्त

2020 का सी.डब्ल्यू.पी नंबर 17727

नाम	**की तारीख शामिल हों एनएचपीसी**	**के पद पर शामिल हुए**	**सेवानिवृत्ति कब होनी है?**	**वर्तमान पदनाम**
सतपाल सिंह	18.02.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारी (यांत्रिक)	31.0702023	सामान्य मैनेजर (यांत्रिक)
विनोद कुमार मैनी	20.02.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	31.12.2021	कार्यकारी निदेशक
हरीश कुमार	01.04.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी	31.01.2022	कार्यकारी निदेशक

		(सिविल)		
श्याम लाल कपिल	12.10.1987	भूभौतिकीवेत्ता	31.01.2023	कार्यकारी निदेशक
राजन कुमार	21.02.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	31.08.2022	'ठीक है। सामान्य मैनेजर
हरजीत सिंह पुरी	15.05.1986	वरिष्ठ एकाउंटेंट/ परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	31.01.2022	Cheif सामान्य मैनेजर
प्रकाश परमार	18.02.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारी (यांत्रिक)	30.06.2022	सामान्य मैनेजर (यांत्रिक)
तापस सिन्हा	22.02.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	30.04.2023	सामान्य मैनेजर (सिविल)
जनेश साहनी	01.04.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	30.06.2023	सामान्य मैनेजर (सिविल)
वीरेंद्र सलमान	12.11.1984	इंजीनियर (सिविल)	31.10.2021	सामान्य मैनेजर (सिविल)
आशीष कुमार चौकसे	13.05.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	31.05.2023	सामान्य मैनेजर (सिविल)
अनिल कुमार जैन	22.02.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी	30.06.2022	सामान्य मैनेजर

		(सिविल)		(सिविल)
पराग सक्सेना	22.02.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	31.07.2023	सामान्य मैनेजर (सिविल)
राजीव सचदेवा	21.02.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	28.02.2023	सामान्य मैनेजर (सिविल)
काजल साहा	27.11.1989	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	31.07.2024	सामान्य मैनेजर (सिविल)
बृज मोहन	25.11.1989	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	30.06.2024	सामान्य मैनेजर (सिविल)
राम स्वरूप	08.03.1990	परिवीक्षाधीन कार्यकारी (यांत्रिक)	30.04.2026	सामान्य मैनेजर (यांत्रिक)

2020 की सी.डब्ल्यू.पी संख्या 17725

सेवानिवृत्त कर्मचारियों (पूर्व कर्मचारियों) की सूची

नाम	शामिल होने की तिथि एनएचपीसी	एनएचपीसी में शामिल हुए	सेवानिवृत्ति की तारीख	सेवानिवृत्ति का पदनाम
राजेश कुमार जायसवाल	13.12.1982	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	30.09.2020	कार्यकारी निदेशक
अतुल कुमार	01.05.1981	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	31.03.2019	कार्यकारी निदेशक

आमोद कुमार अग्रवाल	12.10.1982	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	30.06.2019	कार्यकारी निदेशक
सुरेन्द्र कुमार दुबे	12.10.1982	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	31.05.2019	कार्यकारी निदेशक
रूपक जैन	13.10.1982	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (विद्युत)	30.11.2019	कार्यकारी निदेशक
अनिल कुमार सिन्हा	21.02.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	31.05.2019	मुख्य महाप्रबंधक
रईस मियां	18.02.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (मेच)	31.08.2019	मुख्य महाप्रबंधक
अमिताभ श्रीवास्तव	12.11.1984	इंजीनियर (मैकेनिकल)	31.08.2020	सामान्य मैनेजर (Mech)
प्रशांत कुमार बिस्वास	06.05.1987	प्रोग्रैमर	31.01.2020	महाप्रबंधक (आईटी)
राकेश गुप्ता	17.12.1984	प्रोग्रैमर	31.10.2018	महाप्रबंधक (आईटी)
रविंदर रैना	23.11.1984	इंजीनियर (सिविल)	30.04.2020	सामान्य मैनेजर (सिविल)
योगिंदर कोठा	09.11.1984	इंजीनियर (सिविल)	30.06.2020	सामान्य मैनेजर (सिविल)

पवन कुमार	21.02.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	30.06.2020	सामान्य मैनेजर (सिविल)
विनय कुमार चौधरी	22.02.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	31.07.2020	सामान्य मैनेजर (सिविल)
सुनील गुप्ता	05.05.1984	इंजीनियर (सिविल)	30.06.2018	प्रमुखतम इंजीनियर (सिविल) जनरल के रूप में पुनर्नामित मैनेजर (सिविल)
देवेंद्र पाल मौर्य	13.10.1982	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	31.07.2020	सामान्य मैनेजर (सिविल)
एस.के. पांडे	27.11.1984	इंजीनियर (सिविल)	31.07.2019	सामान्य मैनेजर (सिविल)
अरुण कुमार चौधरी	21.02.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	31.12.2019	सामान्य मैनेजर (सिविल)
शरद भटनागर	02.06.1988	भूवैज्ञानिक	30.11.2019	सामान्य मैनेजर (भूविज्ञान)
राकेश चन्द्र शर्मा	09.10.1987	भूवैज्ञानिक	31.10.2019	सामान्य मैनेजर (भूविज्ञान)
जनार्दन चौधरी	29.12.1984	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी	31.03.2020	निदेशक (तकनीकी)

		(विद्युत.)		
धीमान पारिजा	01.05.1981	परिवीक्षाधीन कार्यकारी	31.10.2018	कार्यकारी निदेशक

		(सिविल)		
राकेश	13.10.1982	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (विद्युत.)	31.05.2020	कार्यकारी निदेशक
नरेंद्र कुमार	13.10.1982	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	30.09.2019	कार्यकारी निदेशक
विजय कुमार रतन	11.10.1982	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	31.10.2018	कार्यकारी निदेशक
प्रदीप कुमार जौहर	16.10.1982	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (मेच)	31.12.2018	कार्यकारी निदेशक
मनोज कुमार	26.12.1984	इंजीनियर (सिविल)	30.11.2019	मुख्य महाप्रबंधक
दिनेश चन्द्र त्रिपाठी	01.04.1985	भूवैज्ञानिक	28.02.2019	मुख्य महाप्रबंधक
सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल	30.11.1984	इंजीनियर (सिविल)	31.12.2019	सामान्य मैनेजर (सिविल)
दक्षिणी मुरुगप्पन	08.10.1987	भूभौतिकीवेत्ता	30.09.2018	प्रमुखतम (भूभौतिकी), पुनर्नामित महाप्रबंधक के रूप में (भूभौतिकी)

सत्यपाल सिंह कुंडला	22.02.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	30.06.2020	सामान्य मैनेजर (सिविल)
बाबू लाल गुप्ता	26.04.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	30.06.2019	सामान्य मैनेजर (सिविल)
अनिल कुमार चावला	21.11.1985	इंजीनियर (ईडीपी)	31.03.2020	महाप्रबंधक (आईटी)
बृज मोहन गुप्ता	06.06.1986	वरिष्ठ लेखाकार	30.06.2019	महाप्रबंधक (FIN)

1 साल के भीतर रिटायर होने वाले कर्मचारी

नूरानी सुब्रमण्यन परमेश्वरन	18.02.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (इलेक्ट्रिकला)	31.05.2021	कार्यकारी निदेशक
सुरेश चंद्र पाल	12.10.1982	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	31.07.2021	कार्यकारी निदेशक
देबजीत चट्टोपाध्याय	14.02.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (इलेक्ट्रिकल)	31.01.2021	कार्यकारी निदेशक
चन्द्र बली सिंह	12.10.1982	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (यांत्रिक)	31.01.2021	कार्यकारी निदेशक
आलोक कुमार	18.02.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (यांत्रिक)	31.10.2020	प्रमुखतम सामान्य मैनेजर
बी.पी. राव	20.02.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	30.04.2021	सामान्य मैनेजर (सिविल)

खालिद उमर	21.02.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	30.11.2020	सामान्य मैनेजर (सिविल)
देबाशीष चट्टोपाध्याय	26.03.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (इलेक्ट्रिकल)	31.01.2021	सामान्य मैनेजर (इलेक्ट्रिकल)
मनचली अनंत पद्मनाभचर	26.03.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (इलेक्ट्रिकल)	31.05.2021	सामान्य मैनेजर (इलेक्ट्रिकल)
रामजी राम यादव	04.04.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	30.06.2021	सामान्य मैनेजर (सिविल)
सरबजीत सिंह	21.02.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	31.07.2021	सामान्य मैनेजर (सिविल)
राकेश गोयल	01.04.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	31.08.2021	सामान्य मैनेजर (सिविल)
सहदेव खटुआ	20.02.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	28.02.2021	सामान्य मैनेजर (सिविल)
जितेन्द्र कुमार सिंह	22.02.1985	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (सिविल)	30.11.2020	सामान्य मैनेजर (सिविल)
विजय कुमार	28.12.1987	परिवीक्षाधीन कार्यकारिणी (वित्त)	31.12.2020	कार्यकारी निदेशक (आईए)

(12) एक संक्षिप्त जवाबी हलफनामे में, प्रतिवादी संख्या 1 ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि वर्तमान रिट याचिकाओं में लगाए गए निर्णयों के कारण, याचिकाकर्ता वेतन संशोधन के कारण 19,17,61,317/- रुपये की कुल राशि के हकदार हो गए हैं, जबकि न्यायालय द्वारा

पारित अंतरिम आदेश के मद्देनजर अधिक भुगतान के कारण याचिकाकर्ताओं से वसूली योग्य कुल राशि 9,62,00,000 रुपये है। जिनमे से वर्ष 2018-2019 के लिए प्रदर्शन संबंधी वेतन से संबंधित 3,63,00,000/- रुपये याचिकाकर्ताओं को देय भुगतान के लिए समायोजित किए गए हैं। यह भी बताया गया है कि यह निर्णय वर्ष 1993 में लिए गए पिछले निर्णय का परिणाम है, जो विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष चुनौती का विषय था। दिनांक 08.07.1994 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1993 के सीडब्ल्यूपी सं.27799 में विशेष रूप से कहा कि यदि याचिकाकर्ता अपनी रिट याचिका में विफल रहते हैं, तो अंतरिम आदेश के कारण भुगतान की गई अतिरिक्त राशि वसूल की जा सकती है। यह भी बताया गया है कि कुल मिलाकर 804 कर्मचारियों से वसूल किए जाने वाले अतिरिक्त भुगतान की मांग 55.82 करोड़ रुपये है। 804 कर्मचारियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अर्थात् 175 सक्रिय और 626 गैर-सक्रिय कर्मचारी। यह आगे बताया गया है कि 2020 के सीडब्ल्यूपी नंबर 14979 में याचिकाकर्ता 3.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माह के बीच मासिक वेतन पाने वाले सबसे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं। न्यायालय के ध्यान में यह भी लाया गया है कि कर्मचारियों द्वारा उन्हें आईडीए पैटर्न में स्थानांतरित करने के निर्णय को चुनौती देने वाली रिट याचिका को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 1993 के सीडब्ल्यूपी संख्या 805 में दिनांक 26.03.1999 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था। जम्मू और कश्मीर राज्यों के उच्च न्यायालय ने भी वर्ष 1999 में गुण-दोष के आधार पर रिट याचिका को खारिज कर दिया। इस प्रकार, यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता दावा की गई राहत के हकदार नहीं हैं।

(13) इस पीठ ने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है और उनकी सक्षम सहायता से पेपर बुक का अवलोकन किया है।

(14) याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकीलों ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ताओं को कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया है और परिणामस्वरूप, सुनवाई के अवसर के अभाव में, चुनौती के तहत आदेश टिकाऊ नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब प्रतिवादियों द्वारा लिया गया निर्णय न केवल देर से लिया गया है, बल्कि सीमा द्वारा भी रोक दिया गया है क्योंकि इस स्तर पर वसूली को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि 17.04.2020 के निर्णय को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। ***पंजाब राज्य*** *बनाम* ***रफीक मसीह मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा करते हुए***[2], उन्होंने तर्क दिया कि कर्मचारियों से कोई वसूली नहीं की जा सकती है।

(15) 2020 के सीडब्ल्यूपी नंबर 17725 में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील ने उपरोक्त तर्कों को पूरक करते हुए कहा है कि रिट याचिका में अधिकांश याचिकाकर्ता पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं या सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं। इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि ***रफीक मसीह (***उपरोक्त ***)*** में पारित फैसले के मद्देनजर कोई वसूली

[2] (2015) 4 एस.सी.सी 334

नहीं की जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि चुनौती के तहत आदेश असमान है क्योंकि याचिकाकर्ताओं को इस स्तर पर, अतिरिक्त भुगतान वापस करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है, खासकर जब याचिकाकर्ताओं की कोई गलती नहीं है।

(16) प्रतिवादी-निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने तर्क दिया कि 19.05.1993 को न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार राशि की वसूली की जा रही है और अदालत के अंतरिम निर्देशों के तहत बढ़ी हुई राशि प्राप्त करने के बाद याचिकाकर्ताओं को अब उन्हीं आदेशों के तहत वसूली का विरोध करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह आगे बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं की सुनवाई आवश्यक नहीं है क्योंकि राशि पिछले आदेशों को जारी रखते हुए वसूली जा रही है, जिसकी वैधता को याचिकाकर्ताओं द्वारा रिट याचिकाओं में खारिज कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि भुगतान और वसूली का विवरण 18.05.2020 को वेब-साइट पर अपलोड किया गया है और टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। याचिकाकर्ता किसी भी टिप्पणी को आगे बढ़ाने में विफल रहे हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं के साथ कोई पूर्वाग्रह नहीं किया गया है और उन्हें अदालत द्वारा सुनवाई का अवसर दिया गया है।

(17) पार्टियों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, आइए अब उसी का विश्लेषण करें।

(18) इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, पक्षकारों के विद्वान वकीलों के तर्कों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है: -

(१) राशि की वसूली में देरी और अतिदेरी होती है;

(२) वेतन से वसूली को सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रभावी करने की मांग की जाती है;

(३) रफीक मसीह *(*उपरोक्त*) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में निर्धारित कानून के मद्देनजर,* लंबे समय बीतने के बाद राशि की वसूली नहीं की जा सकती है।

(19) पहले भाग के संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि याचिकाकर्ता इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि उन्हें न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के तहत सीडीए के अनुसार वेतन मिला है। वास्तव में, वर्ष 1993 में, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, 01.01.1989 के बाद नियुक्त/पदोन्नत सभी कर्मचारियों को आईडीए पैटर्न में स्थानांतरित कर दिया गया था। अधिकांश याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न सिविल रिट याचिकाएं दायर करके इसे चुनौती दी, जिसमें उन्हें अंतरिम संरक्षण दिया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 08.07.1994 को एनएचपीसी को सीडीए पैटर्न की राशि का भुगतान जारी रखने का निर्देश दिया कि, यदि रिट याचिका खारिज कर दी जाती है, तो राशि वसूल की जाएगी। उपर्युक्त टिप्पणी के कारण ही वसूली की जा रही है। इस प्रकार, वसूली के लिए पारित आदेश केवल

परिणामी है। इसके अलावा, यह राशि वसूल करने की मांग की गई है क्योंकि 1997 और 2007 के वेतनमानों के अनुसार वेतन का भुगतान अनंतिम रूप से किया जा रहा था। इसे 19.03.2019 को अंतिम रूप दिया गया है। वसूली की सीमा का कार्रवाई के कारण के साथ सीधा संबंध है। वर्तमान मामले में, कथित वसूली के लिए कार्रवाई का कारण मार्च, 2019 में उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा, न्यायालय के अंतरिम निर्देशों के तहत भुगतान प्राप्त करने के बाद याचिकाकर्ताओं को अब इसका विरोध करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, खासकर जब वे पहले ही मुकदमेबाजी के पिछले दौर में हार चुके हैं।

(20) इसके अलावा, यह स्थापित किया गया है कि वेतनमानों में संशोधन और एनएचपीसी द्वारा लिए गए निर्णय के कारण, कर्मचारियों को भारी राशि का भुगतान किया जा रहा है, जबकि तुलनात्मक रूप से वसूली जाने वाली राशि बहुत कम है। भुगतान और वसूली साथ-साथ की जा रही है। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अधिकांश रिट याचिकाओं में, याचिकाकर्ता सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में शीर्ष पदों पर काम कर रहे हैं। वे स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में हैं। इसलिए, विलंब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है। फिर भी, नियोक्ता और कर्मचारी संबंध जारी है। न्यायालय के आदेशों के परिणामस्वरूप खातों का निपटान किया जा रहा है। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में उनकी रिट याचिकाओं को खारिज करने के बाद, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी-निगम को अतिरिक्त वेतन की राशि वसूलने के लिए कभी सूचित नहीं किया।

(21) इसलिए, इस पीठ का सुविचारित मत है कि चुनौती के तहत आदेश पारित करने में कोई देरी नहीं है।

(22) एक अन्य मुद्दा जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है सुनवाई की कथित कमी या कारण बताओ नोटिस जारी करना।

(23) यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि लाभ प्रदान करने और वापस लेने का निर्णय 19.03.2019 को लिया गया था। इसके बाद, दिनांक 17.04.2020 के बाद के निर्णय के परिणामस्वरूप शुरू से ही वेतन का पुन: निर्धारण किया गया, खासकर जब शुरू में केवल अनंतिम वेतन तय किया गया था। फिर भी, वर्ष 1993 में, जब याचिकाकर्ताओं को सीडीए पैटर्न में स्थानांतरित करने की मांग की गई, तो उन्होंने रिट याचिका दायर की और यह अदालत के अंतरिम आदेशों के तहत था कि वे सीडीए पैटर्न पर वेतन प्राप्त करते रहे। चूंकि, रिट याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं, इसलिए वसूली की जा रही है। इस बीच, याचिकाकर्ताओं ने स्वेच्छा से आईडीए पैटर्न पर वेतन देने का विकल्प चुना है।

(24) इसके अलावा, कर्मचारियों की टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए 18.05.2020 को वेबसाइट पर वेतन का पुन: निर्धारण अपलोड किया गया था। इसके बाद, वेतन 25.06.2020 को अपडेट किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने संशोधित वेतन की राशि पर आपत्ति नहीं की और अप्रैल, 2020 से संशोधित राशि प्राप्त की। इस प्रकार, याचिकाकर्ता यह दावा नहीं कर सकते हैं कि

उन्हें कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता पूर्वाग्रह को दिखाने में विफल रहे हैं। यह अब तक अच्छी तरह से तय हो गया है कि प्राकृतिक न्याय के नियम अदालत के हाथों में एक लचीला उपकरण हैं; ठोस न्याय को प्रभावी बनाना। पूर्वाग्रह के अभाव में, एक छोटी सी अनियमितता के परिणामस्वरूप एक वैध आदेश को रद्द नहीं किया जाएगा। मामले के प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ के बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर शून्य में भरोसा नहीं किया जा सकता है। बल्कि तथ्यों और स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे लागू किया जाना आवश्यक है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत कोई अनियंत्रित घोड़ा नहीं हैं और उन्हें सीधे जैकेट सूत्र में नहीं रखा जा सकता है। फिर भी, याचिकाकर्ताओं को न्यायालय द्वारा एक अवसर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील को विस्तार से सुना गया है। इसलिए, इस पीठ का विचार है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इस न्यायालय के लिए हस्तक्षेप करना अनुचित होगा। मामले के तथ्यों के अनुसार, यह मामला 18 वर्षों की अवधि के लिए लंबित रहा है, खासकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह तय करने के बाद कि याचिकाकर्ताओं को औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न के तहत रखा जाएगा और भुगतान किया जाएगा। इसलिए, यह पीठ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त करती है।

(25) अगला मुद्दा जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील का तर्क है कि ***रफीक मसीह*** *(उपरोक्त)* में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित फैसले के मद्देनजर, कर्मचारियों से कोई वसूली नहीं की जा सकती है, खासकर लंबे समय बीतने के बाद और कुछ याचिकाकर्ताओं के पहले ही सेवानिवृत्त होने के बाद।

(26) यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि ***रफीक मसीह*** *(उपरोक्त)* में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग है जो इसके न्यायसंगत अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। इसलिए, इस तरह के निर्णय, सबसे बड़े सम्मान के साथ, तथ्यों की जांच किए बिना लागू नहीं किया जा सकता है। एक समय ***रफीक मसीह*** *(उपरोक्त)* के मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास भेजा गया था. जब मामले को बड़ी पीठ के समक्ष रखा गया था, तो यह माना गया था कि इस तरह के निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हैं और इसलिए, बाध्यकारी उदाहरण नहीं हैं।

इस संबंध में रिलायंस को पंजाब राज्य में बड़ी पीठ के फैसले और ***रफीक मसीह और अन्य के*** *खिलाफ* ***एक अन्य के फैसले पर रखा जा सकता*** [3] है। फिर भी, ***रफीक मसीह*** *(उपरोक्त)* में पारित निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है; खासकर जब अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार राशि वसूल करने की मांग की जाती है। याचिकाकर्ता, अदालत के अंतरिम निर्देशों के तहत भुगतान प्राप्त करने के बाद, अब 08.07.1994 के उसी

[3] (2014) 8 SCC883

आदेश के अनुसार वसूली का विरोध नहीं कर सकते हैं। फिर भी, यह रिकॉर्ड पर आया है कि याचिकाकर्ताओं को किया गया भुगतान वसूली जाने वाली राशि से बहुत अधिक है। इसके अलावा, ***रफीक मसीह*** *(उपरोक्त)* में पारित निर्णय का पालन करने से पहले कठिनाई की परीक्षा को लागू करना अनिवार्य है, खासकर जब फैसले के पैराग्राफ 7 और 8 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कर्मचारी के खिलाफ वसूली का अधिकार केवल तभी लिया जाएगा जब इससे कठिनाई न हो। फिर भी, जैसा कि ऊपर देखा गया है, याचिकाकर्ता सबसे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं। हाल ही में, उन्हें वेतन में संशोधन के कारण पर्याप्त राशि का भुगतान भी किया गया है। बकाया राशि को 24 किस्तों में समायोजित किया जा रहा है। याचिकाकर्ता अपने पक्ष में हिस्सेदारी दिखाने में विफल रहे हैं।

(27) नतीजतन, यह पीठ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील के तर्क को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त करती है। नतीजतन, सभी रिट याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।

डॉ. पायल मेहता

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

रोहतास,
(अनुवादक)